

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.11(21)नवि/मारवाड़ जंक्शन / 2024

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.08.2024 द्वारा निम्न 05 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए मारवाड़ जंक्शन (जिला-पाली) मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को अधिकृत किया गया था। उक्त अधिसूचना द्वारा मारवाड़ जंक्शन (जिला-पाली) मास्टर प्लान हेतु निर्धारित क्षितिज वर्ष 2043 को, क्षितिज वर्ष 2047 किया जाता है।

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	मारवाड़ जंक्शन	MARWAR JUNCTION	मारवाड़ जंक्शन
2.	खारची	KHARCHI	मारवाड़ जंक्शन
3.	हेमलीयावास खूर्द	HEMLIYAWAS KHURD	मारवाड़ जंक्शन
4.	हेमलीयावास कलां	HEMLIYAWAS KALAN	मारवाड़ जंक्शन
5.	सूर्यनगर	SURYANAGAR	मारवाड़ जंक्शन

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलक्टर, पाली।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व), जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मारवाड़ जंक्शन (जिला-पाली)।
- प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम